

प्रसूति-प्रसुविधा के लिए दावा तथा काम की सूचना

**कर्मचारी राज्य बीमा निगम**

(विनियम 88ए 89 व 91)

बीमाकृत महिला के हस्ताक्षर या अँगूठे का निशान

नियोजक कूट संख्य

--	--

पुस्तक संख्या \_\_\_\_\_

क्रम संख्या \_\_\_\_\_

बीमाकृत महिला का नाम \_\_\_\_\_

बीमा संख्या

--	--

पत्नी/पुत्री \_\_\_\_\_

औषधालय की मोहर

--

मैं, उपरिलिखित बीमाकृत महिला.....से प्रत्याशित प्रसव/प्रसव\*/गर्भपात के लिए प्रसूति प्रसुविधा का दावा करती हूँ।

मैं इसके द्वारा यह भी घोषणा करती हूँ कि मैंने ऊपर कथित तारीख से पारिश्रमिक के लिए काम करना छोड़ दिया\*/छोड़ दूंगी।

\*मैं इसके द्वारा यह सूचना देती हूँ कि.....से पारिश्रमिक के लिए मैंने कार्य ग्रहण कर लिया है/कार्य ग्रहण कर लूंगी। मैंने.....तक की प्रसूति प्रसुविधा प्राप्त कर ली है।

वर्तमान नियोजक\*\* \_\_\_\_\_

विभाग, पाली व व्यवसाय \_\_\_\_\_

वर्तमान पता \_\_\_\_\_

तारीख \_\_\_\_\_

बीमाकृत महिला के हस्ताक्षर/अँगूठे का निशान

शाखा कार्यालय का नाम.....

\*जो लागू न हो उसे काट दें।

\*\*यदि रोजगार में नहीं है तो पिछले नियोजक के विवरण दें।

**महत्वपूर्ण :**

- (1) जिस कालावधि के लिए प्रसूति-प्रसुविधा का दावा किया जा रहा है या किया जाना है उसके दौरान पारिश्रमिक के लिए कोई भी काम नहीं किया जाएगा।
- (2) फिर से काम शुरू करने से पूर्व इसकी सूचना अवश्य दी जाए।
- (3) कोई व्यक्ति, चाहे अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, प्रसुविधा अभिप्राप्त करने के प्रयोजन से मिथ्या कथन या मिथ्या व्यपदेशन करेगा, अपने को अभियोजन के लिए जिम्मेदार ठहराएगा तथा 2000/- रुपये तक जुर्माना या 6 महीने तक का कारावास या दोनों ही दंड दिए जा सकते हैं।